

प्रेस नोट

दिनांक 19.06.2022

सराहनीय कार्य थाना जायस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 19.06.2022 को उ0नि0 राकेश सिंह थानाध्यक्ष जायस मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त लतीफ उर्फ नफीस पुत्र अजीज उर्फ मस्ताना नि0 पन्नू का पुरवा कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी को त्रिपुला तिराहे के पास से समय सरीभ 04:40 बजे भोर में गिरफ्तार किया । अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ । थाना जायस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

- लतीफ उर्फ नफीस पुत्र अजीज उर्फ मस्ताना नि0 पन्नू का पुरवा कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- 1 किलो 200 ग्राम गांजा

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 153/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी ।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राकेश सिंह थानाध्यक्ष जायस जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 जंगबहादुर यादव थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. का0 आनन्द वर्मा थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. का0 शुभम सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।
5. का0 राहुल थाना जायस जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 153//2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 165//2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 44/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 188/19 धारा 498ए/352/323/506 भा0द0वि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 154/2018 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।
6. मु०अ०सं० 1661/2017 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जायस जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 1991/2013 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जायस जनपद अमेठी ।